



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13527

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40940 वर्ष 2025

जितेंद्र कुमार यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: महेंद्र बहादुर सिंह, ऋषभ सिंह, विजेता सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री विजेता सिंह और राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री पुनीत कुमार सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का अवलोकन किया।

यह आवेदक द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है। वर्तमान आवेदक द्वारा दायर की गई

पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 19.08.2025 के आदेश द्वारा आपराधिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विविध जमानत याचिका संख्या 19360/2025 में खारिज कर दिया था, जिसकी प्रति जमानत याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में रिकॉर्ड पर लाई गई है।

आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 61/2025, धारा 115(2), 352, 351(2), 3(5), 109(1) और 103(1) के तहत बीएनएस, पुलिस स्टेशन कोरांव, जिला प्रयागराज में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ यह दूसरी जमानत याचिका दायर की है।

इस दूसरी जमानत याचिका के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पहली जमानत याचिका में दिए गए सभी तर्कों को दोहराया है, जिनका इस न्यायालय द्वारा यहां दोबारा उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त के अलावा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में जांच अधिकारी द्वारा आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और संबंधित न्यायालय ने भी संज्ञान ले लिया है। उन्होंने आगे बताया कि अभियोजन पक्ष के मामले में 14 गवाह हैं और मामले की सुनवाई बहुत धीमी गति से चल रही है, इसलिए निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान कार्यवाही के आदेश पत्र की ओर आकर्षित करते हुए यह प्रदर्शित किया है कि गवाहों के निवेदन पर सुनवाई में देरी हो रही है, क्योंकि वे निर्धारित तिथियों पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जबकि आवेदक को जेल से पेश किया जा रहा है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि आवेदक 17.03.2025 से जेल में बंद है, इसलिए निवेदन किया है कि उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान एजीए ने उपरोक्त तथ्यों का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उनका खंडन नहीं कर सके। इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **जितेंद्र कुमार यादव** को, उल्लेखित अपराध संख्या में, जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करे, जिनकी राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

20 जनवरी 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।